अप्रैल 2024 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 8 ₹135

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

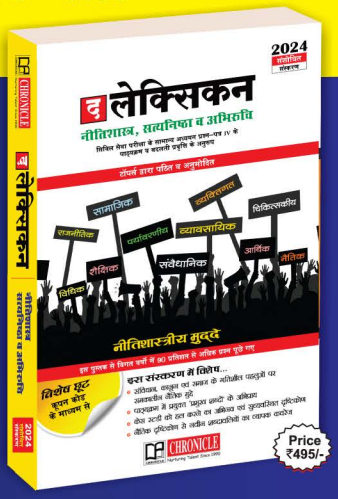

प्रारंभिकी 2024 प्रैक्टिस सेट

इतिहास एवं भारतीय राजव्यवस्था

अन्य आकर्षण

न्यूज बुलेट्स

पत्रिका सार : फरवरी 2024 माह में प्रकाशित पत्रिकाओं पर आधारित

चर्चित शब्दावली

संसद प्रश्नोत्तरी

फैक्ट शीट : रक्षा विनिर्माण तथा दूरसंचार क्षेत्र

समसामयिक प्रश्न

वनलाइनर करेंट अफेयर्स

विशेष आलेख

- ग्रामीण भारत का डिजिटल रूपांतरण : ग्रामीण समुदायों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग
- भारत में हरित ऊर्जा : विज़न, संभावनाएं एवं चुनौतियां
- भारत-यूएई संबंध : आपसी सहयोग के नये क्षितिज की खोज
- कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण : चुनौतियां एवं उपाय
- प्रकृति-आधारित समाधान : जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण का आधार
- पड़ोसी देशों के साथ भारत का विकासात्मक सहयोग : संभावनाएं एवं चुनौतियां

परीक्षा सार

CGPSC राज्य सेवा (प्रा.) परीक्षा-2023 पर आधारित

www.chronicleindia.in

इस अंक में

सिविल सर्विसेज़
क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

अप्रैल 2024

❑ वर्ष 33 ❑ अंक 8

63 प्रारंभिकी 2024 : प्रैक्टिस सेट
इतिहास एवं भारतीय राजव्यवस्था

- इस विशेष खंड में हम आगामी UPSC एवं राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं हेतु इतिहास एवं भारतीय राजव्यवस्था पर "20 प्रैक्टिस सेट" प्रस्तुत कर रहे हैं।
- इस विशेष खंड को विकसित करते समय हमने उन्हीं टॉपिक्स का चयन किया है, जिनसे आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है।
- विगत कुछ वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में कथन एवं तथ्य आधारित, अंतरविषयी एवं बहुविषयी प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसीलिये हमने इन प्रश्नों को विकसित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा है।

सामयिक आलेख

06 ग्रामीण भारत का डिजिटल रूपांतरण : ग्रामीण समुदायों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग
09 भारत में हरित ऊर्जा : विजन, संभावनाएं एवं चुनौतियां
13 भारत-यूएई संबंध : आपसी सहयोग के नये क्षितिज की खोज

इन फोकस

16 पड़ोसी देशों में भारत की संयुक्त विकास परियोजनाएं : चुनौतियां एवं संभावनाएं
18 भारत में कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण : चुनौतियां एवं उपाय
19 प्रकृति-आधारित समाधान : जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण का आधार

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य

न्यायपालिका 21
शासन प्रणाली 21
बैठक एवं सम्मेलन 23
संस्थान एवं निकाय 23
आयोजन 24

सामाजिक परिदृश्य

समिति एवं आयोग 25
अति संवेदनशील वर्ग 25
शिक्षा 26
बैठक एवं सम्मेलन 27
स्वास्थ्य 27

सार्वजनिक नीति

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 28
जल प्रदूषण संशोधन अधिनियम, 2024 28
नये समुदायों को ST सूची में शामिल करने हेतु अधिनियम 29
सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन 30

कल्याणकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना 31
पुनर्गठित 'पशुपालन अवसंरचना विकास निधि' योजना 31
सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना 32
किलकारी कार्यक्रम का दो अन्य राज्यों में विस्तार 33
'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल 33
सूचना एवं प्रसारण के 4 नये पोर्टल 33

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व 34
पुरातात्विक साक्ष्य 35
विरासत स्थल एवं स्मारक 36
आंदोलन एवं विद्रोह 36
उत्सव एवं पर्व 36

आर्थिक परिदृश्य

वित्त क्षेत्र 37
व्यापार एवं निवेश 37
संस्थान एवं निकाय 38
समिति एवं आयोग 38
कृषि क्षेत्र 39
पोर्टल एवं ऐप 40

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

संधि एवं समझौते 41
बैठक एवं सम्मेलन 42
अंतरराष्ट्रीय पहल 44
द्विपक्षीय संबंध 45
मानचित्र के माध्यम से 47

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जलवायु परिवर्तन 48
पर्यावरण संरक्षण 49
वन्य जीव संरक्षण 49
पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण 51
नवीकरणीय ऊर्जा 52

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्वास्थ्य विज्ञान 53
नवीन प्रौद्योगिकी 54
जैव प्रौद्योगिकी 55
ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष विज्ञान 55

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 58
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 61

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य परिदृश्य

उत्तर प्रदेश 113
बिहार 114
उत्तराखंड 114
छत्तीसगढ़ 115
महाराष्ट्र 115
ओडिशा 115
सिक्किम 115
असम 115

न्यूज बुलेट्स 116-129

लघु संचिका

चर्चित व्यक्ति/नियुक्ति 130
निधन 131
पुरस्कार/सम्मान 132
चर्चित पुस्तकें 134
चर्चित दिवस 134

खेल परिदृश्य

चर्चित खेल व्यक्तित्व 135
बहु-खेल स्पर्द्धा 135
टेनिस 136
बैडमिंटन 136
क्रिकेट 136
एथलेटिक्स 137
हॉकी 137
फुटबॉल 137
मुक्केबाजी 137

परीक्षा सार 138-142

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा 11 फरवरी, 2024 को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित

पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्टर 143-152

चर्चित शब्दावली 153-154

संसद प्रश्नोत्तरी 155

फैक्ट शीट 156

समसामयिक प्रश्न 157-158

वनलाइनर करेंट अफेयर्स 159-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

ग्रामीण भारत का डिजिटल रूपांतरण

ग्रामीण समुदायों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग

• डॉ. अमरजीत भार्गव

ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका में सुधार के लिए डिजिटल अनुप्रयोगों में व्यापक संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा डिजिटल नवाचार के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मौजूदा नीतियों में सुधार के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और अधिक कुशल एवं उन्नत बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कम लागत पर डेटा और सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण युवाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने तथा किसानों के सामानों की बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करके उनकी लाभप्रदता बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाएगा।

13 फरवरी, 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले की एक ग्राम पंचायत में 'स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' के रूप में एक ऐतिहासिक पहल का उद्घाटन किया। यह परियोजना ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसे संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत वित्त-पोषित किया गया है।

- परंपरागत रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि गतिविधियों द्वारा संचालित होती थी। आजादी के बाद से, हमारी अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के साधन के रूप में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। वैश्वीकृत युग में, जब अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से अत्यधिक प्रभावित है, ग्रामीण क्षेत्रों को इससे अलग नहीं रखा जा सकता।
- भारत में भी तीव्र गति से डिजिटल क्रांति देखी जा रही है, सरकार की 'डिजिटल इंडिया पहल' का उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। यद्यपि शहरी आबादी के पास डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच है, ग्रामीण क्षेत्र इस डिजिटल क्रांति से काफी हद तक बाहर है। इस डिजिटल विभाजन के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास के बाधित होने का खतरा है। ऐसे में ग्रामीण भारत का डिजिटल रूपांतरण देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।

ग्रामीण भारत: डिजिटल रूपांतरण की आवश्यकता

- डिजिटल रूपांतरण से तात्पर्य व्यक्तियों और समुदायों की स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और उपयोग करने की क्षमता से है।
- ग्रामीण भारत में डिजिटल समावेशन की कमी का **आर्थिक अवसरों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय समावेशन** पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- **मार्च 2021 में प्रकाशित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)** के आंकड़ों के अनुसार, भारत में इंटरनेट की पहुंच दर लगभग 42.5% है, वहीं लगभग 675 मिलियन लोग इंटरनेट की पहुंच से दूर हैं।
  - **ट्राई (TRAI) की रिपोर्ट** के अनुसार देश में कुल इंटरनेट ग्राहकों में से ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2017 के 32% से बढ़कर मार्च 2020 में 38% से अधिक हो गई है।
  - ट्राई का मानना है कि ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के बावजूद ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है और इसके लिए बुनियादी ढांचे की कमी तथा जागरूकता की कमी जैसे कारक उत्तरदायी हैं।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** की एक रिपोर्ट के अनुसार गांवों में रहने वाले लगभग 53% परिवार और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 75% परिवार ब्रॉडबैंड स्पीड से संतुष्ट नहीं थे।
- **भारत असमानता रिपोर्ट, 2022 के अनुसार** लगभग 70% भारतीय आबादी के पास डिजिटल कनेक्टिविटी सेवाओं की स्थिति खराब है अथवा उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण भारत का डिजिटलीकरण: प्रमुख चुनौतियां तथा सरकारी प्रयास

तकनीकी चुनौतियां

- इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि शहरी भारत के 64% की तुलना में केवल 29% ग्रामीण भारत में ही इंटरनेट तक पहुंच है। यह डिजिटल विभाजन न केवल एक सामाजिक मुद्दा है, बल्कि एक आर्थिक मुद्दा भी है।
- इतना ही नहीं, तकनीकी प्रौद्योगिकियों को विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के अनुरूप खेतों और जंगलों जैसी विशिष्ट पर्यावरणीय स्थितियों में उपयोग योग्य होने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण कृषि पर्यावरण अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण माना जाता है, इन क्षेत्रों में तकनीकी अनुप्रयोगों को लागू करने के लिए विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता होती है।
- इतना ही नहीं, ग्रामीण लोगों को नियमित रूप से डिजिटल सेवाओं के उपयोग हेतु आवश्यक साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराना भी एक प्रमुख बाधा है।

भारत में हरित ऊर्जा
विजन, संभावनाएं एवं चुनौतियां

• महेंद्र चिलकोटी

भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले 8 वर्षों में 396% बढ़ी है, जो 179 गीगावॉट (नवंबर 2023 तक) तक पहुंच गई है; यह कुल क्षमता का 42% है। हरित ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट है तथा निरंतर नीतिगत समर्थन, तकनीकी प्रगति एवं घटती लागत के साथ, भारत में हरित ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल दिखता है।

इन्वेस्टमेंट इनफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के (दीर्घ पनबिजली संयंत्रों के अतिरिक्त) दिसंबर 2023 में 135 गीगावॉट के स्तर से मार्च 2025 तक 170 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है। भारत पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करते हुए अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरित ऊर्जा के दोहन के लक्ष्य को लेकर तत्परता से आगे बढ़ रहा है।

* भारत ने अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किये हैं। देश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। इसमें सौर, पवन, जैव ऊर्जा एवं अपशिष्ट से ऊर्जा आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी तथा अनुकूल विनियमों सहित विभिन्न नीतिगत उपाय क्रियान्वित किये हैं।

हरित ऊर्जा

हरित ऊर्जा (Green Energy), उन ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हानिकारक कार्बन उत्सर्जन निर्मुक्त नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कार्बन पदचिह्न को कम करने में हमारी सहायता करने में प्रभावी हैं।

* हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के समान लक्ष्य साझा करते हैं। हालांकि, उनमें कुछ भिन्नताएं भी हैं जो पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर चर्चा करते समय ध्यान देने योग्य हैं।
* हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) का एक उपसमूह है और इसमें वे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल हैं जो सर्वाधिक पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए, यद्यपि सभी हरित ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय हैं, सभी नवीकरणीय संसाधनों को हरित नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, पनबिजली नवीकरणीय है क्योंकि जल चक्र एक सतत प्रक्रिया है, परंतु यह हरित नहीं है, क्योंकि यह हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है।

हरित ऊर्जा के विविध आयाम : भारतीय परिदृश्य

भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना है और 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है। भारत आर्थिक विकास के एक नए मॉडल का नेतृत्व कर रहा है जिससे वह अतीत में कई देशों द्वारा अपनाए गए कार्बन-सघन दृष्टिकोण से बच सकता है तथा अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मानक बन सकता है।

सौर ऊर्जा

सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करके काम करती है। हमारे उपयोग के लिए सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा के दो रूप हैं- बिजली एवं ऊष्मा। दोनों सौर पैनलों के उपयोग के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जिनका आकार आवासीय छतों से लेकर कई एकड़ ग्रामीण भूमि तक विस्तृत 'सौर फार्म' तक होता है।

* भारत वर्तमान में सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। पिछले 5 वर्षों में, देश की सौर स्थापित क्षमता में एक बड़ा बदलाव आया है, जो 2023 में 21,651 मेगावॉट (GW) से बढ़कर 70,096 मेगावॉट हो गई है। 2023 में, भारत ने 7.5 गीगावॉट सौर क्षमता स्थापित की, जो 2022 से 44% कम है। 2023 के पहले 9 महीनों में, भारत ने 5.6 गीगावॉट सौर ऊर्जा स्थापित की, जो 2022 से 47% कम है।
* **तकनीकें:** इसमें प्रयुक्त फोटोवोल्टाइक सेल अर्धचालक सामग्रियों से निर्मित होते हैं।
  - **संकेंद्रित फोटोवोल्टाइक्स (CPV):** सौर सेल पर सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए दर्पण या लेंस का उपयोग किया जाता है।
  - **संकेंद्रित सौर ऊर्जा (CSP):** उपयोगिता-उपकरणों, विद्युत टर्बाइनों को चलाने के लिए सूर्य से ऊष्मा (तापीय ऊर्जा) का उपयोग किया जाता है।
  - **संकेंद्रित सौर तापीय (CST):** यह ऊर्जा खंडों में बिजली उत्पन्न करने से पहले सूर्य के प्रकाश को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
* **आर्थिक व्यवहार्यता:** सौर संयंत्रों को पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि फोटोवोल्टाइक पैनलों की बड़ी शृंखला को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है।
  - प्रति दिन 4 चरम सूर्य घंटों के राष्ट्रीय औसत के कारण 5 मेगावॉट का सौर संयंत्र प्रति वर्ष 6000 मेगावॉट का उत्पादन करेगा। अत: यह कहा जा सकता है कि 5 मेगावॉट के सोलर प्लांट से लगभग 1.5 -1.75 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का वार्षिक राजस्व प्राप्त हो सकता है।
  - हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा की लागत में काफी कमी आई है, जिससे यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में तेजी से लागत प्रभावी हो गई है।
* **पहलें:** स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना।
  - 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्य बिक्री हेतु अंतर राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) के तहत शुल्क की छूट।

भारत–यूएई संबंध
आपसी सहयोग के नये क्षितिज की खोज

• संपादकीय डेस्क

भारत-यूएई संबंध भारत की 'विस्तारित पड़ोस की नीति' और 'पश्चिम की ओर देखो नीति' की धुरी बन गए हैं। साझा आर्थिक दृष्टिकोण और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण ने दोनों पक्षों को कई क्षेत्रों, विशेष रूप से निवेश, प्रौद्योगिकी और ज्ञान अर्थव्यवस्था तथा रक्षा और सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 30 लाख भारतीय सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निवास कर रहे हैं। भारत सतत रूप से खाड़ी देशों के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने तथा सुरक्षा सहयोग को गहरा करने का प्रयास कर रहा है। इस दिशा में व्यापार-अनुकूल माहौल, भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की इच्छा और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यूएई का एक विशेष स्थान है।

12 से 14 फरवरी, 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 'विश्व सरकार शिखर सम्मेलन' (World Governments Summit: WGS) का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। 14 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। अपनी यात्रा के पहले दिन 13 फरवरी, 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की।

* पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह सातवीं यात्रा थी। यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने निवेश, बिजली व्यापार और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद से ही भारत की विदेश नीति में रणनीतिक परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ साझेदारी भारत की 'विस्तारित पड़ोस की नीति' के केंद्र में है। यह नीति खाड़ी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति को प्रतिबिंबित करती है।
* भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य मजबूत एवं सहयोगपूर्ण संबंधों का निर्माण साझा आर्थिक दृष्टिकोण तथा समान भू-राजनीतिक परिदृश्य के माध्यम से हुआ है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारत-यूएई संबंधों के हालिया घटनाक्रम पर विचार करने के साथ दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना आवश्यक है।

यात्रा के दौरान संपन्न समझौते

* **द्विपक्षीय निवेश संधि:** यह समझौता दोनों देशों में निवेश को और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते दोनों पर हस्ताक्षर किये हैं।
* **विद्युत इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** यह ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलता है।
* **IMEC कॉरिडोर के सशक्तीकरण और संचालन के लिए सहयोग से संबंधित अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौता:** भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) हेतु यह समझौता, इससे संबंधित पिछले समझौते और सहयोग पर आधारित होगा तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य सहयोग को बढ़ावा देगा।
* **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सहयोग पर समझौता ज्ञापन:** यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश में सहयोग सहित व्यापक सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा और तकनीकी ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
* **UAE के राष्ट्रीय पुस्तकालय और अभिलेखागार और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग प्रोटोकॉल:** यह प्रोटोकॉल अभिलेखीय सामग्री की बहाली और संरक्षण सहित इस क्षेत्र में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा।
* **राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास पर समझौता ज्ञापन:** इससे, लोथल, गुजरात में समुद्री विरासत परिसर का समर्थन करने के उद्देश्य के साथ, दोनों देशों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।
* **इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म- UPI (भारत) और AANI (यूएई) को जोड़ने पर समझौता:** इससे दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेनदेन की सुविधा मिलेगी।
* **घरेलू डेबिट/क्रेडिट कार्ड-रुपे (भारत) को जयवान (संयुक्त अरब अमीरात) के साथ जोड़ने पर समझौता:** इससे पूरे संयुक्त अरब अमीरात में रुपे की सार्वभौमिक स्वीकृति बढ़ेगी।

in फोकस

- पड़ोसी देशों में भारत की संयुक्त विकास परियोजनाएं : चुनौतियां एवं संभावनाएं
- भारत में कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण : चुनौतियां एवं उपाय
- प्रकृति–आधारित समाधान : जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण का आधार

पड़ोसी देशों में भारत की संयुक्त विकास परियोजनाएं

चुनौतियां एवं संभावनाएं

भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण देश है। इसकी भूमि-सीमाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ तथा समुद्री सीमाएं श्रीलंका, मालदीव एवं मॉरीशस के साथ लगती हैं। भारत की विदेश नीति, जिसे 'पड़ोसी पहले' नीति के रूप में जाना जाता है, के तहत भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंध स्थापित करने पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में, भारत की सहायता से पड़ोसी देशों में अनेक विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के मूल्यांकन के संदर्भ में इन परियोजनाओं का विश्लेषण आवश्यक है।

पड़ोसी देशों में भारत की सहायता से जारी विकास परियोजनाएं

✓ नेपाल

- वर्ष 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के समय भारत द्वारा बचाव दल, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजकर त्वरित सहायता पहुंचायी गई थी। वर्ष 2022 में बुद्ध के जन्मस्थान, लुंबिनी में बौद्ध विहार के लिये आधारशिला की नींव रखी गई है।
- भारत में काठमांडू को रक्सौल से जोड़ने वाला इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिये दोनों सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- एक अन्य परियोजना में 90 किमी लंबी 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन शामिल है जो टीला (सोलुखुम्बु) को भारतीय सीमा के करीब मिरचौया (सिराहा) से जोड़ती है।
- भारत ने काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या को जोड़ने के लिये तीन सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित 900 मेगावाट की एक रन-ऑफ-रिवर परियोजना 'अरुण -3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना' के लिए वर्ष 2019 में भारतीय कैबिनेट द्वारा 1236 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी गई थी।
- दोनों देशों ने 490.2 मेगावाट की 'अरुण-4 जलविद्युत परियोजना' तथा 'पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना' के विकास हेतु भी समझौता किया है।

✓ भूटान

- 720 मेगावाट की मंगदेछू जलविद्युत परियोजना, 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना तथा 336 मेगावाट की चुखा जलविद्युत परियोजना आदि परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हैं।
- भारत ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2018-2023) के समय भूटान में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 4500 करोड़ रुपये और संक्रमणकालीन व्यापार सहायता सुविधा के लिए 400 करोड़ रुपये जारी किए थे।
- दक्षिण एशियाई उपग्रह के उपयोग के लिए इसरो का ग्राउंड अर्थ स्टेशन। भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और भूटान के अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क के बीच अंतरसंबंध का विस्तार।
- RuPay की पूर्ण अंतरसंचालनीयता के साथ द्विपक्षीय सहयोग।
- भूटान BHIM ऐप लॉन्च करने वाला सिंगापुर के बाद दूसरा देश बन गया है।

✓ बांग्लादेश

- पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पारबतीपुर को जोड़ने वाली भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की सहायता से बांग्लादेश तक प्रतिवर्ष दस लाख मीट्रिक टन हाई-स्पीड डीजल पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच 1965 से पहले के रेल संपर्क और अन्य संपर्कों को बहाल करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। चिल्हाटी (बांग्लादेश) और हल्दीबाड़ी (भारत) के बीच नए बहाल रेलवे लिंक का उद्घाटन 2021 में किया गया था।
- इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (IGCC), ढाका दोनों देशों के बीच आम सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिंदी भाषा और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शामिल हैं।
- कुशियारा संधि के माध्यम से, भारत और बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण सीमा पार नदी, कुशियारा के पानी को साझा करने पर सहमत हुए हैं।

✓ म्यांमार

- 160 किमी लंबी तमु-कलेवा-कलेम्यो सड़क; म्यांमार में री-टिडिम रोड का निर्माण और उन्नयन; कलादान मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का उन्नयन और पुनर्सतहीकरण।
- भारत द्वारा म्यांमार के चिन राज्य (Chin State) में बायन्यू/सरिसचौक (Byanyu/Sarsichauk) में सीमा बाजार (हाट) के निर्माण के लिये 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की गई। यह पहल मिजोरम और म्यांमार के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में सहायक होगी।
- म्यांमार के बागान शहर में स्थित पैगोडा की मरम्मत और संरक्षण के साथ देश में अन्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में भारत द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

In फोकस

भारत में कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण

चुनौतियां एवं उपाय

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भारत में कृषि के मशीनीकरण के संबंध में संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रमुख फसलों (Major Crops) के लिए बीज तैयार करने का कार्य अत्यधिक मशीनीकृत (70% से अधिक) है, जबकि चावल और गेहूं की फसलों के अलावा अन्य प्रमुख फसलों के संबंध में कटाई और थ्रेसिंग ऑपरेशन काफी कम मशीनीकृत (32% से कम) है।

- वर्ष 2023 में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति द्वारा 'भारत में लघु और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास' (Research and development in farm mechanization for small and marginal farmers in India) पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी।
- समिति ने सुझाव दिया कि ऐसे किसानों के लिए कृषि मशीनरी विकसित की जानी चाहिए और उन्हें और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र के मशीनीकरण का अर्थ कृषि कार्यों के लिए ऐसी मशीनों के विकास एवं उपयोग से है जो मानव तथा पशुओं के कार्यों को प्रतिस्थापित करती हैं। कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषि औजारों, उपकरणों और मशीनों का डिजाइन तैयार करना, विनिर्माण, वितरण, इस्तेमाल और उनकी मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं।
- 20वीं सदी में कृषि के यंत्रीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके फलस्वरूप किसानों के लिए रोपाई, सिंचाई और फसल कटाई की पद्धतियों में व्यापक बदलाव आए हैं। देश में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास किए गए हैं, फिर भी इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

देश में मशीनीकरण का स्तर

- संसद की स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कृषि मशीनीकरण का कुल स्तर 47% है, जो चीन (59.5%) और ब्राजील (75%) जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है।
  - रिपोर्ट के अनुसार 'संभावना है कि 47% के मौजूदा स्तर से 75-80% मशीनीकरण के स्तर को हासिल करने के लिए भारत को अभी अगले 25 वर्ष का समय लगेगा।
  - देश के लगभग 14 करोड़ किसानों में से 86% किसान लघु एवं सीमांत किसान (दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले) हैं, तथा उनके पास पूंजी-गहन उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।
- फरवरी, 2023 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद' (NCAER) की 'कृषि कार्य मशीनीकरण उद्योग में भारत को वैश्विक हब बनाने' पर एक रिपोर्ट जारी की थी।
  - NCAER के अनुसार, वर्ष 2018-19 में कृषि के लिए बिजली की उपलब्धता 2.49 किलोवाट/हेक्टेयर थी, जो कोरिया (+7 किलोवाट/हेक्टेयर), जापान (+14 किलोवाट/हेक्टेयर), अमेरिका (+7 किलोवाट/हेक्टेयर) की तुलना में बहुत कम है।
  - NCAER की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत को गैर-ट्रैक्टर कृषि मशीनरी में खुद को उत्पादन और निर्यात हब में बदलने के लिए अगले 15 वर्षों के लिए एक विजन की आवश्यकता है।

कृषि मशीनीकरण के लाभ

- कृषि मशीनीकरण भूमि, जल ऊर्जा संसाधनों, जनशक्ति और बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि जैसे अन्य इनपुट को उपयोग के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि उपलब्ध कृषि योग्य क्षेत्र की उत्पादकता अधिकतम की जा सके और ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि को अधिक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाया जा सके।
- मशीनीकरण से किसानों की आय में वृद्धि होती है तथा कृषि अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने वाले कृषि क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण इनपुट की उपयोग दक्षता में सुधार होता है।
- उपर्युक्त प्रस्तुत रिपोर्ट में समिति ने कहा कि भारत में कृषि मशीनीकरण के योगदान से बीजों की मात्रा में 15-20%, उर्वरक में 15-20% और अंकुरण दर में 7-25 % का सुधार होता है। इतना ही नहीं, समय में 20-30%, खरपतवार में 20-40% और श्रम में 20-30% की बचत होती है।
- इसके अलावा, यह भी कहा गया कि कृषि मशीनीकरण से फसल सघनता में 5-20% और फसल की उपज में 13-23% की वृद्धि होती है। इस प्रकार, कृषि मशीनीकरण कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रमुख प्रेरकों में से एक है।

कृषि मशीनीकरण हेतु सरकारी प्रयास

- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में छोटे और सीमांत किसानों और कम कृषि शक्ति की उपलब्धता वाले क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 'कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन' (SMAM) आरंभ किया गया था। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - 'कस्टम हायरिंग केंद्रों' और 'उच्च मूल्य की मशीनों के उच्च-तकनीक हब' को बढ़ावा देना;
  - प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता में वृद्धि करना; तथा
  - देश भर में बने निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर कृषि मशीनों के प्रदर्शन, परीक्षण और प्रमाणन को सुनिश्चित करना।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में वार्षिक रूप से 4% विकास दर हासिल करना है।
  - इस योजना के माध्यम से कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के साथ गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

न्यायपालिका
- चुनावी बॉण्ड योजना असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय

शासन प्रणाली
- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू
- सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की रोकथाम कानून की समीक्षा

बैठक एवं सम्मेलन
- रायसीना डायलॉग
- PM-STIAC की 24वीं बैठक

संस्थान एवं निकाय
- लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति

आयोजन
- आदि महोत्सव 2024

न्यायपालिका

चुनावी बॉण्ड योजना असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय

15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्र की **चुनावी बॉण्ड योजना** को **असंवैधानिक** बताते हुए इसे रद्द कर दिया, क्योंकि इस योजना के माध्यम से गुमनाम रहते हुए चुनावी चंदा दिया जा सकता है।

- इस निर्णय में यह रेखांकित किया गया कि यह योजना संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(A)** के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- इसी के साथ अदालत ने **आयकर अधिनियम, 1961** और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में किये गए ऐसे संशोधनों को भी रद्द कर दिया, जो इस तरह के गुमनाम राजनीतिक योगदान या चंदे को सक्षम बनाते थे।

चुनावी बॉण्ड योजना

- चुनावी बॉण्ड योजना को वर्ष **2017** में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था तथा इसे वर्ष **2018** में लागू किया गया।
- यह एक ऐसे साधन के रूप में काम करती थी, जिसके माध्यम से दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान दिया जा सकता है।
- केवल वे राजनीतिक दल जो **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए** के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा या विधानसभा के लिये डाले गए वोटों में से **कम-से-कम 1% वोट** हासिल किये हों, वे ही चुनावी बॉण्ड हासिल करने के पात्र होते थे।
- **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** द्वारा 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तथा 1 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग में धारक की मांग पर देय और ब्याज मुक्त बॉण्ड जारी किए जाते रहे हैं।
- ये केवल भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा ही क्रय योग्य होते थे।
- कोई भी चुनावी बॉण्ड जारी किये जाने की तारीख से **15 दिनों** के लिये ही वैध होता था।
- **भारतीय स्टेट बैंक (SBI)** चुनावी बॉण्ड का अधिकृत जारीकर्त्ता रहा है तथा अभी तक चुनावी बॉण्ड नामित SBI शाखाओं के माध्यम से ही जारी किये जा सकते थे।
- उल्लेखनीय है कि चुनावी बॉण्ड **डिजिटल या चेक** के माध्यम से खरीदे जा सकते थे, परन्तु इनका नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता था।

शासन प्रणाली

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू

7 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य के लिए **समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक** को पारित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद UCC को अपनाने वाला, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

- **समान नागरिक संहिता** [Uniform Civil Code (UCC)] के तहत राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए **विवाह, तलाक और विरासत** के संबंध में एक समान कानून लागू होगा।
- इसका आशय यह है कि विवाह, तलाक, विरासत के संबंध में व्यक्तिगत कानून कोई मायने नहीं रखेंगे, चाहे कोई व्यक्ति **हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन या किसी भी अन्य धर्म** का हो।

सामाजिक परिदृश्य

समिति एवं आयोग

- महामारी रोग अधिनियम : एक व्यापक समीक्षा

अति संवेदनशील वर्ग

- वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनामी फंड
- वरिष्ठ देखभाल सुधारों पर नीति आयोग का स्थिति पत्र

शिक्षा

- 'नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग' पर सेमिनार का आयोजन

बैठक एवं सम्मेलन

- प्रथम राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन

स्वास्थ्य

- आयुष समग्र कल्याण केंद्र

समिति एवं आयोग

महामारी रोग अधिनियम : एक व्यापक समीक्षा

हाल ही में 22वें विधि आयोग ने 'महामारी रोग अधिनियम, 1897 की एक व्यापक समीक्षा' (A Comprehensive Review of the Epidemic Diseases Act, 1897) नामक शीर्षक वाली अपनी 286वीं रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है।

- 22वें विधि आयोग की **रिपोर्ट में कहा गया है** कि ''महामारी रोगों के प्रबंधन, नियंत्रण और रोकथाम को एक सदी पुराने कानून तक सीमित नहीं किया जा सकता है।''

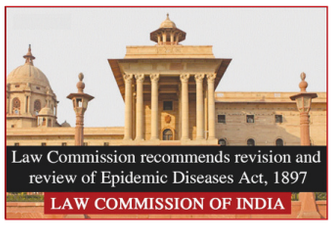

- आयोग का मानना है कि **वर्तमान कानून** देश में भविष्य की महामारियों की रोकथाम और **प्रबंधन से संबंधित चिंताओं को व्यापक रूप से समाहित नहीं करता** है, क्योंकि नए संक्रामक रोग या मौजूदा रोगजनकों के नए प्रकार उभर सकते हैं।
- विधि आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस विषय पर **वर्तमान कानूनी ढांचे की व्यापक जांच** की। आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा स्वास्थ्य परिदृश्य में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए या तो मौजूदा कानून में उचित संशोधन करने की जरूरत है या इस विषय पर एक नया व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।
  - **संशोधित अथवा नवीन कानून** में गोपनीयता-अनुकूल रोग निगरानी, चिकित्सा आपूर्ति के वितरण, उपलब्धता एवं परिवहन को विनियमित करने, जनता के लिए जानकारी का उचित प्रसार, टीकाकरण एवं दवाओं के लिए चिकित्सा परीक्षण और अनुसंधान तथा विभिन्न प्रकार के संक्रामक कचरे के सुरक्षित निपटान संबंधी प्रावधानों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- कोविड महामारी ने देश के **स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना** के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती खड़ी कर दी थी, ऐसे समय में संसद ने तत्काल चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को देखते हुए **वर्ष 2020 में महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन** किया था।
- वर्तमान वैश्वीकृत और परस्पर संबद्ध विश्व में, भविष्य में भी महामारी का प्रकोप एक वास्तविक संभावना है। हमारे **संविधान के अनुच्छेद 21** में निहित स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है और राज्य अपने नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।

महामारी रोग अधिनियम, 1897

- भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद (Council of the Governor General of India) के सदस्य **जे. वुडबर्न** (J. Woodburn) ने सर्वप्रथम **28 जनवरी, 1897** को **'ब्लैक डेथ'** के नाम से प्रसिद्ध ब्यूबोनिक प्लेग (Bubonic Plague) के प्रकोप के दौरान महामारी रोग विधेयक को प्रस्तुत किया था।
- औपनिवेशिक-युग का यह अधिनियम राज्य सरकारों को विशेष उपाय करने और महामारी के दौरान विशेष नियम निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- इसके अतिरिक्त यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की अवज्ञा करने पर दिये जाने वाले दंड को परिभाषित करता है।
- इसे **स्वाइन फ्लू, डेंगू और हैजा** जैसी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में नियमित रूप से लागू किया जाता है।

अति संवेदनशील वर्ग

वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनामी फंड

विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (ITC) ने 25 फरवरी, 2024 को महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अवसरों का लाभ उठाने में मदद करने के लिए

सार्वजनिक नीति

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024

12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024] को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

- विधेयक के रूप में इसे 6 फरवरी, 2024 को लोक सभा द्वारा तथा 9 फरवरी, 2024 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
- इस अधिनियम का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आदि जैसी भर्ती परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) जैसी प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, कदाचार के साथ-साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत **अधिनियम की धारा 2(k)** के तहत सूचीबद्ध 'लोक परीक्षा प्राधिकरण' या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को शामिल किया गया है।
- इस सूची के अंतर्गत **5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को शामिल किया गया है।
- अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध **संज्ञेय, गैर-जमानती** और **गैर-शमनयोग्य** होंगे।
- अधिनियम में धोखाधड़ी (Cheating) पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम **3 से 5 वर्ष** की कैद की सजा का प्रस्ताव है।
- इसी के साथ 'धोखाधड़ी के संगठित अपराधों' (Organised Crimes of Cheating) में शामिल लोगों को **5 से 10 वर्ष** की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
- अधिनियम की धारा 3 में ऐसे कम-से-कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो मौद्रिक या गलत लाभ के लिये सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के समान हैं।
- सूचीबद्ध अनुचित साधनों में प्रश्नपत्रों को लीक करना, अभ्यर्थियों को अनधिकृत सहायता देना, उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ और नकली परीक्षा सामग्री बनाना आदि के साथ ही डिजिटल युग में धोखाधड़ी के विकसित तरीकों को अपनाते हुए परीक्षा संबंधी कदाचार के सभी संभावित रूपों को शामिल किया गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित कानून के अंतर्गत अपराधों की जांच **पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त** स्तर से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी।
- आपराधिक तत्वों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के खतरे से निपटने के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जाएगा और एक **निगरानी समिति** का गठन किया जाएगा।

जल प्रदूषण संशोधन अधिनियम, 2024

15 फरवरी, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 'जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024' [The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 2024] को मंजूरी प्रदान की गई।

- विधेयक के रूप में इसे 8 फरवरी को लोक सभा द्वारा तथा 5 फरवरी को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।
- इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से **जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण)** अधिनियम, 1974 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए है। 1974 यह मूल अधिनियम 25 राज्यों में लागू है।
- जल **राज्य सूची का विषय** है, ऐसे में केंद्र जल प्रबंधन को प्रभावित करने वाले विधायी कानून सीधे पारित नहीं कर सकता।

कल्याणकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PM-MSY) के तहत एक उप-योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)' को मंजूरी दी।

- इस उप-योजना को **6,000 करोड़ रुपये** के अनुमानित परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के तहत 'केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना' (Central Sector Sub-scheme) के रूप में लागू किया जाएगा।

- इसके तहत अनुमानित परिव्यय में **विश्व बैंक और AFD बाह्य वित्तपोषण** (AFD external financing) सहित **50% (3,000 करोड़ रुपये) का सार्वजनिक वित्त** शामिल होगा।

योजना के लाभार्थी

- इस योजना के **इच्छित लाभार्थियों** में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - **मछुआरे, मत्स्य (जलीय कृषि) किसान, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता** या ऐसे अन्य व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन मूल्य शृंखला में संलग्न हैं।
  - मालिकाना फर्मों, साझेदारी फर्मों और भारत में पंजीकृत कंपनियों, सोसायटी, सीमित देयता भागीदारी (LLP), सहकारी समितियों, संघों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), मछली किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) जैसे ग्राम **स्तरीय संगठनों** के रूप में **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा मत्स्य पालन और जलीय कृषि मूल्य शृंखला में संलग्न स्टार्टअप**।
  - अन्य लाभार्थी जिन्हें भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा लक्षित लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया हो।

योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- **राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म** (National Fisheries Sector Digital Platform) के तहत मछुआरों, मत्स्य किसानों और सहायक श्रमिकों के **स्व-पंजीकरण** के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक **औपचारिकीकरण करना**।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में संलग्न सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को **संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा** प्रदान करना।
- **जलीय कृषि बीमा** की खरीद हेतु **लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन** प्रदान करना।
- **रोजगार के सृजन तथा रखरखाव** सहित मत्स्य पालन क्षेत्र की मूल्य-शृंखला दक्षता में सुधार करना।
- इसके लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से **मत्स्य पालन और जलीय कृषि** से संबंधित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पुनर्गठित 'पशुपालन अवसंरचना विकास निधि' योजना

14 फरवरी, 2024 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना [realigned Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) Scheme] का शुभारंभ किया।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 फरवरी, 2024 को 29,610.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक अगले तीन वर्षों के लिए AHIDF योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई थी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि** (AHIDF) की घोषणा और अनुमोदन **24 जून, 2020** को किया गया था। **AHIDF एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है।
- इस योजना का **प्रारंभिक बजट आवंटन 15,000 करोड़ रुपये** था। यह पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व
- संत रविदास की 647वीं जयंती
- स्वामी दयानंद सरस्वती का जयंती समारोह

पुरातात्विक साक्ष्य
- कोटरावई मूर्तिकला
- तेलंगाना में दीपस्तम्भम् की खोज

विरासत स्थल एवं स्मारक
- मराठा सैन्य परिदृश्य: यूनेस्को की विश्व विरासत सूची हेतु नामांकित

आंदोलन एवं विद्रोह
- नानू रानी चेन्नम्मा

उत्सव एवं पर्व
- समक्का सरलम्मा जतारा

व्यक्तित्व

संत रविदास की 647वीं जयंती

24 फरवरी, 2024 को संत रविदास की 647वीं जयंती मनाई गई। इसकी पूर्व संध्या पर 23 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास **सीर गोवर्धनपुर** में संत रविदास की नव स्थापित प्रतिमा का उद्घाटन किया तथा 'संत रविदास संग्रहालय' की आधारशिला रखी।

संक्षिप्त परिचय

- संत गुरु रविदास का **जन्म** काशी नगरी (वर्तमान वाराणसी) में संवत 1377 को माघ पूर्णिमा के दिन माना जाता है। इस वजह से हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है।
- संत गुरु **रविदास को रैदास** और रूहिदास के नाम से भी जाना जाता है। उनकी **माता** का नाम श्रीमति कलसा देवी और **पिता** का नाम श्री संतोख दास था।

योगदान

- संत रविदास को **भक्ति** काल के महान संतों में से एक माना जाता है। संत रविदास जी के दोहों और रचनाओं ने भक्ति आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई।
- इन्हें महान संत **कबीर दास** का शिष्य माना जाता है। संत रविदास के प्रति न केवल हिंदू, बल्कि सिख धर्म के लोग भी श्रद्धा भाव रखते हैं। संत रविदास जी के 41 भक्ति के पद और कविताओं को **गुरुग्रंथ साहिब** में भी शामिल किया गया है।
- संत रविदास ने भक्ति के साथ-साथ **सामाजिक कुरीतियों** को दूर करने तथा समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्य किये। इन्होंने **जाति-आधारित और सामाजिक भेदभाव** के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया।
- गुरु रविदासजी ने भक्ति-साधना का पालन करके समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया। इन्होंने समाज में शांति, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश फैलाया तथा लोगों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया।

स्वामी दयानंद सरस्वती का जयंती समारोह

12 फरवरी, 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात के मोरबी के टंकारू में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक एवं सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला।

जीवन परिचय

- स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के राजकोट जिले के टंकारा (Tankara) में हुआ था।
- इनके बचपन का नाम मूल शंकर (Mool Shankar) था। इन्हें दयानंद सरस्वती नाम स्वामी पूर्णानंद सरस्वती द्वारा दिया गया।
- वे वैदिक विद्या और संस्कृत भाषा के प्रखर विद्वान थे। महर्षि दयानंद ने कर्म (Karma) और पुनर्जन्म (Reincarnation) के सिद्धांत की वकालत की।

धार्मिक और सामाजिक सुधार

- **मूर्तिपूजा और कर्मकांड की अस्वीकृति:** इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडीय प्रथाओं का विरोध किया, इनका मानना था कि यह वेदों की सच्ची शिक्षाओं से भटकाव है। उन्होंने निराकार, निर्गुण ईश्वर की पूजा को बढ़ावा दिया।
- **शुद्धि आंदोलन:** शुद्धि आंदोलन उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से या अनिच्छा से इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों को स्वीकार कर लिया थे।
- **वेदों की प्रतिष्ठा:** इनके द्वारा भारतीय समाज से अज्ञानता और अंधविश्वास की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए वैदिक ज्ञान पर बल दिया गया। दयानंद सरस्वती ने "वेदों की ओर लौटो" का नारा दिया।
- **महिलाओं के अधिकार:** दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की वकालत की। इन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और पुरुषों के साथ समान स्तर पर सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

वित्त क्षेत्र

- 'बीमा सुगम' पर विनियमों का मसौदा

व्यापार एवं निवेश

- अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी

संस्थान एवं निकाय

- वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 28वीं बैठक

समिति एवं आयोग

- स्वैच्छिक मध्यस्थता ढांचे की सिफारिश

कृषि क्षेत्र

- राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली तथा **ULPIN**
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन में संशोधन
- नीति आयोग द्वारा ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च

पोर्टल एवं ऐप

- सी-केयर्स वेब पोर्टल

वित्त क्षेत्र

'बीमा सुगम' पर विनियमों का मसौदा

13 फरवरी, 2024 को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा 'बीमा सुगम' नामक डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास लिए 'आईआरडीएआई (बीमा सुगम-बीमा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस) विनियम, 2024' नामक मसौदा नियम जारी किया गया।

- इस मसौदा नियम में 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे' (DPI) के रूप में 'बीमा सुगम-बीमा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस' बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
- यह मार्केटप्लेस पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करके उन्हें सशक्त करेगा, भारत में बीमा की पहुंच बढ़ाएगा तथा उपलब्धता, सामर्थ्य और पहुंच में वृद्धि करेगा।
- **मसौदा नियम में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं-**
  - 'बीमा सुगम' कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक **गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में कार्य** करेगा।
  - 'बीमा सुगम' की **हिस्सेदारी** बड़े पैमाने पर **जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीच** रखी जाएगी। कोई भी **एकल इकाई नियंत्रण हिस्सेदारी नहीं** रख सकती।
  - इससे चयन-निर्माण और संचालन (Selection-Construction and Operation) की दिशा में एक संतुलित और सहयोगात्मक पद्धति सुनिश्चित होगी।
  - **IRDAI 'बीमा सुगम' के शासन और संचालन की देखरेख** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके द्वारा कंपनी के बोर्ड में दो सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा।
  - सेवाओं के लिए **सहमति आधारित फ्रेमवर्क** तैयार किया जाएगा। 'बीमा सुगम' सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 'बीमा सुगम' बीमा कंपनियों को **रियल टाइम आधार पर अलग-अलग टचप्वाइंट** से मान्य और **प्रामाणिक डेटा** आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा।
- यह बीमा उत्पादों और सेवाओं **की उपलब्धता, पहुंच एवं वहनीयता** को बढ़ाकर **'बीमा पहुंच'** (Insurance Penetration) एवं **'बीमा घनत्व'** (Insurance Density) बढ़ाने में भी मदद करेगा।
- 'बीमा पहुंच' का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत से है। वहीं 'बीमा घनत्व' बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात है, यह **'प्रति व्यक्ति प्रीमियम'** को दर्शाता है, इसे डॉलर में प्रदर्शित किया जाता है।
- बीमा सुगम की मदद से **संपूर्ण बीमा सप्लाई चेन में पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग** को बढ़ावा मिलेगा।
- **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण** (IRDA) भारत सरकार का एक प्राधिकरण (एजेंसी) है।
- इसका **उद्देश्य** बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्द्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

व्यापार एवं निवेश

अंतरिक्ष क्षेत्र पर एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी

21 फरवरी, 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दी। कैबिनेट द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र पर FDI नीति को भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 के विजन और रणनीति के अनुरूप आसान बनाया गया है।

- **मौजूदा FDI नीति** के अनुसार, FDI को केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से उपग्रह स्थापित करने और संचालित करने की अनुमति है।
- **संशोधित नीति के तहत**, अंतरिक्ष क्षेत्र में **100% तक की FDI की अनुमति** दी गई है। इसका उद्देश्य संभावित निवेशकों को भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों की ओर आकर्षित करना है।
- इस नीतिगत बदलाव से उपग्रह और लॉन्च वाहन डोमेन में 'गैर-सरकारी संस्थाओं' (NGEs) **की क्षमताओं में वृद्धि, उत्पाद परिष्कार और वैश्विक बाजार में उपस्थिति को बढ़ावा** मिलने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

संधि एवं समझौते

- भारत एवं ताइवान के मध्य प्रवासन समझौता
- आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु भारत-पोलैंड के मध्य समझौता

बैठक एवं सम्मेलन

- 7वां हिंद महासागर सम्मेलन
- INDUS-X शिखर सम्मेलन-2024
- व्यापार समझौते पर भारत-पेरू वार्ता का छठा दौर
- विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय पहल

- गरीबी और भुखमरी उन्मूलन कोष में भारत का योगदान

द्विपक्षीय संबंध

- गुयाना के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
- भारत-कतर संबंधों को मजबूती
- भारत-मॉरीशस संबंधों को बढ़ावा
- श्रीलंका के सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम

मानचित्र के माध्यम से

- रवांडा
- कतर

संधि एवं समझौते

भारत एवं ताइवान के मध्य प्रवासन समझौता

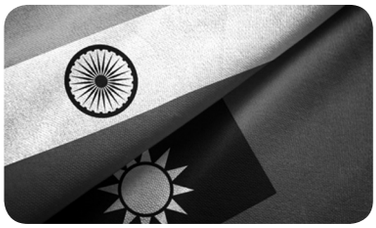

16 फरवरी, 2024 को भारत और ताइवान ने एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय श्रमिक ताइवान में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पा सकेंगे। यह दोनों देशों के मध्य नए सिरे से आरंभ किए गए सहयोग को प्रदर्शित करता है।

- **इंडिया-ताइपे एसोसिएशन** (ITA) के **महानिदेशक मनहरसिंह लक्ष्मणभाई यादव** और **नई दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के प्रमुख बौशुआन गेर** ने एक वर्चुअल इवेंट में एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- ध्यान रहे कि **चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता** है। भारत-ताइवान संबंधों के विकास पर चीन ने भारत से विवेकपूर्ण ढंग से विचार करने को कहा है।
- समझौते पर चर्चा कई वर्षों से चल रही थी। यह समझौता भारत को ताइवान में प्रवासी श्रमिकों के **'नए स्रोत' देश** ('New Source' Country) के रूप में नामित करेगा, दोनों पक्ष कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती चर्चा में संलग्न होंगे।
- किसी भी प्रकार का औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं होने के बावजूद, भारत-ताइवान **संबंधों में सुधार** हो रहा है, **मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा** हो रही है और **भारत में ताइवान का निवेश 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक हो गया है।
- बढ़ती आबादी और कम जन्म दर के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा ताइवान प्रवासी श्रमिकों के माध्यम से अपनी **श्रम शक्ति में वृद्धि का प्रयास** कर रहा है।
- 1990 के दशक में भारत की **'लुक ईस्ट पॉलिसी'** के आरंभ के साथ दोनों देशों के मध्य संबंधों में प्रगति देखने को मिली। दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे देश के **नागरिकों को वीजा प्रतिबंधों में भी छूट** दी जा रही है।
- वर्ष 1995 में दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए गए। उदाहरण के लिए- **नई दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया** (TECC) तथा **ताइवान में भारत-ताइपे एसोसिएशन** (ITA) इस प्रकार के कार्यालय हैं।
- दोनों देशों के मध्य **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग** के लिए वर्ष 2018 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय संयुक्त बैठकें तथा अकादमिक सेमिनार** आयोजित किये जाते हैं।

आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु भारत-पोलैंड के मध्य समझौता

14 फरवरी, 2024 को भारत और पोलैंड ने समन और तलाशी वारंट (Subpoena and search warrant) जारी करने की सुविधा के साथ-साथ आपराधिक मामलों के संबंध में दोनों देशों में रहने वाले गवाहों से सबूत इकट्ठा करने की सुविधा के लिए एक समझौता किया।

- यह समझौता **भारत की केंद्र सरकार** को आपराधिक मामलों से संबंधित समन या तलाशी वारंट की सेवा के निष्पादन हेतु पोलैंड गणराज्य की सरकार के साथ समन्वय करने में सक्षम बनाता है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय, **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973** द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोलैंड में व्यक्तियों को सम्मन और तलाशी वारंट जारी करने की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।
- भारत में समन या वारंट जारी करने वाली **अदालतों को 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक** है।
- भारतीय अदालतों द्वारा जारी किए गए समन या वारंट को **पोलैंड में सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् न्याय मंत्री या अभियोजक जनरल** को प्रेषित करने के लिए **गृह मंत्रालय के आईएस-द्वितीय डिवीजन** (IS-II Division) को भेजना होगा।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जलवायु परिवर्तन

- ला नीना एवं भारत में वायु गुणवत्ता

पर्यावरण संरक्षण

- वन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

वन्य जीव संरक्षण

- भारत में चीता के जीवित रहने की संभावनाएँ
- सफेद गैंडे पर भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग
- भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण

- बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के कण
- विनाश के कगार पर हिंदु कुश हिमालय: ICIMOD

नवीकरणीय ऊर्जा

- ग्रीन हाइड्रोजन पर दिशा-निर्देश

जलवायु परिवर्तन

ला नीना एवं भारत में वायु गुणवत्ता

हाल ही में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि ट्रिपल-डिप ला-नीना (triple-dip La-Nina) की परिघटना ने भारत में वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया है।

मुख्य बिन्दु

- **दक्षिण भारत पर प्रभाव:** इसके कारण 2022-23 के सर्दियों के मौसम में प्रायद्वीपीय भारतीय शहरों में वायु की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई।
  - मुंबई में PM2.5 के स्तर में 30% की वृद्धि दर्ज की गई जो वायु की गुणवत्ता में सबसे अधिक गिरावट को दर्शाता है। कोयंबटूर में PM2.5 के स्तर में 28%, बेंगलुरु में 20%, चेन्नई में 12% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **उत्तर भारत पर प्रभाव:** इसने उत्तर भारतीय शहरों के ऊपर स्थित वायु को गतिशील करने में निर्णायक भूमिका निभाई और इस प्रकार भारत के उत्तरी भाग में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ।
  - उत्तर भारतीय शहरों में, गाजियाबाद में PM2.5 के स्तर में 33% की कमी दर्ज की गई, जो सबसे अधिक सुधार दर्शाता है, इसके बाद रोहतक (30%) और नोएडा (28%) की वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया।

प्रदूषक एवं वायुमंडलीय कारक

- सामान्यत: अक्टूबर से जनवरी के दौरान, उत्तरी भारतीय शहरों में PM2.5 की सांद्रता बहुत अधिक होती है।
- तापमान, नमी, वायु की गति और दिशा जैसे मौसम संबंधी कारक वायुमंडल के निचले स्तरों में प्रदूषकों की सांद्रता को बढ़ाते हैं।
- ये कारक पंजाब, हरियाणा सहित अन्य क्षेत्रों से कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न प्रदूषकों को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ले जाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
- देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से महासागरों से निकट हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों के ऊपर स्थित वायु पर समुद्र और स्थल के तापांतर का प्रभाव पड़ता है।
- इसके कारण वायु का बहाव स्थल से समुद्र या समुद्र से स्थल की तरफ होता है तथा प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहता है।

ट्रिपल-डिप ला नीना

- वैश्विक स्तर पर 2020 से 2023 के दौरान लगातार तीन वर्षों तक ला नीना स्थिति बनी रही, जिसे ट्रिपल-डिप ला नीना के रूप मे भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह 21वीं सदी में अपने प्रकार की प्रथम परिघटना है।
- ध्यान रहे कि ला-नीना (La Nina) मौसमी परिघटना के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के सतही तापमान में असामान्य रूप से कमी आती है।
- इसके साथ ही उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण अर्थात् हवाओं, वायु दाब और वर्षा में व्यापक रूप से परिवर्तन होता है।
- ला-नीना का मौसम और जलवायु पर एल नीनो के ठीक विपरीत प्रभाव पड़ता है। एल नीनो दक्षिणी दोलन (El Nino Southern Oscillation - ENSO) के दौरान प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और उसके चलते गर्म हवाएं चलती हैं।

ला नीना का प्रभाव

- **वर्षा पर प्रभाव:** ला-नीना के कारण हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य एशिया में औसत से कम वर्षा होती है। पूर्वी अफ्रीका को सामान्य स्थितियों से अधिक सूखे का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ला नीना के चलते सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी।

स्वास्थ्य विज्ञान

- क्रॉनिक किडनी रोग के लिए दवा को मंजूरी
- विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड मस्तिष्क ऊतक
- डिप्थीरिया के क्लीनिकल प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश
- लिम्फैटिक फाइलेरियासिस की समाप्ति के लिए अभियान

नवीन प्रौद्योगिकी

- परमाणु संलयन से उत्पन्न ऊर्जा एक नया रिकॉर्ड

जैव प्रौद्योगिकी

- स्वदेशी कार-टी सेल थेरेपी व्यावसायिक उपयोग हेतु उपलब्ध

ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष विज्ञान

- इनसैट-3DS उपग्रह प्रक्षेपित
- ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा कार्य क्षमता का प्रदर्शन
- GRAPES-3 प्रयोग में नई कॉस्मिक किरण विशेषता की खोज
- कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का अवलोकन
- ओडीसियस लैंडर की चंद्रमा पर लैंडिंग

स्वास्थ्य विज्ञान

क्रॉनिक किडनी रोग के लिए दवा को मंजूरी

हाल ही में, दवा निर्माण कंपनी बोहरिंगर इंगेलहेम (Bohringer Ingelheim) की दवा 'जार्डिएंस' (Jardiance) को 'क्रोनिक किडनी रोग' (CKD) के इलाज के लिए भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से मंजूरी मिली है।

- नेफ्रोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट (Nephrologist and Cardiologist) द्वारा पात्र रोगियों में CKD उपचार के लिए **जार्डियंस 10 मिलीग्राम टैबलेट को मंजूरी** दी गई है।

- CDSCO ने ईजीएफआर (EGFR) में गिरावट, अंतिम चरण की किडनी की बीमारी, हृदय संबंधी मृत्यु और जोखिमपूर्ण CKD वाले वयस्कों में अस्पताल में भर्ती होने के **जोखिम को कम करने के लिए** जार्डियन्स को मंजूरी दी है।
  - यह दवा **पॉलीसिस्टिक किडनी रोग** (Polycystic Kidney Disease) या **विशिष्ट उपचारों की आवश्यकता वाले या हाल ही में इस चिकित्सकीय स्थिति से ग्रस्त रहे** रोगियों में उपचार हेतु **अनुशंसित नहीं** है।
- उपर्युक्त अनुमोदन से भारत में CKD से पीड़ित अनुमानित **33 मिलियन वयस्कों को लाभ होने की उम्मीद** है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में कमी आएगी।
- **मधुमेह और उच्च रक्तचाप** जैसे जोखिम कारकों के कारण CKD भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता का विषय है। CKD की प्रगति से अस्पताल में भर्ती होने, हृदय संबंधी घटनाओं और मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है।
- **क्रॉनिक** यानी दीर्घकालिक रोग **शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकार** होते हैं। ये रोग किसी व्यक्ति को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं।
  - **क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम** (Chronic Fatigue Syndrome), **क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज** (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) तथा **क्रोनिक एनीमिया** (Chronic Anemia) इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड मस्तिष्क ऊतक

हाल ही में 'सेल स्टेम सेल' (Cell Stem Cell) नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का प्रथम कार्यात्मक 3D-मुद्रित मस्तिष्क ऊतक (3D-printed brain tissue) विकसित किया गया है।

- **3डी-बायोप्रिंटिंग** (3D-Bioprinting) एक कंप्यूटर-निर्देशित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीवित संरचनाओं के निर्माण के लिए सामग्रियों, कोशिकाओं और अन्य घटकों की परतों का निर्माण किया जाता है।
  - यह तकनीक **ऊतकों को उत्पन्न करने** के लिए विशेष अर्हता (Special Qualification) और कई मामलों में वास्तविक वस्तु की जगह पर उन्हें भी प्रतिस्थापित करने का विशाल सामर्थ्य रखती है।
- '3D प्रिंटेड ब्रेन टिशू' की सहायता से **तंत्रिका विज्ञान** के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक मस्तिष्क कोशिकाओं और मानव मस्तिष्क के अन्य भागों के मध्य संचार का अध्ययन करने में सक्षम होंगे।
- इस 3D-प्रिंटिंग विधि की सटीकता, मस्तिष्क अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले विकसित अंगों (लघु प्रयोगशाला में) के विपरीत, जिन्हें ब्रेन ऑर्गेनॉइड (Brain Organoid) कहा जाता है, **कोशिका प्रकारों और व्यवस्थाओं पर नियंत्रण** (Control over cell types and arrangements) की अनुमति देती है।
- इससे वैज्ञानिकों को **न्यूरोलॉजिकल और न्यूरो डेवलपमेंट विकारों** (अल्जाइमर व पार्किंसंस) पर केंद्रित अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह तकनीक कोशिकाओं के साथ अधिक विशिष्ट मस्तिष्क ऊतकों को बनाने की प्रक्रिया में सुधार करेगी।
  - **अल्जाइमर रोग** एक 'क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल' (Chronic Neurological) स्थिति है, जिसमें अल्पकालिक स्मृति हानि होती है। स्थिति बिगड़ने पर लक्षण समय के साथ बढ़ते जाते हैं।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022–23

24 फरवरी, 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022–23 [Household Consumption Expenditure Survey 2022-23 (HCES)] के अनुसार, ग्रामीण भारत द्वारा गैर-खाद्य वस्तुओं पर औसत खर्च वर्ष 2022–23 में पहली बार 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया।

सर्वेक्षण के संदर्भ में

- जारी किए गए निष्कर्ष **अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के मध्य** किये गए अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त किये गए हैं।
- सर्वेक्षण में **2.62 लाख घरों को शामिल** किया गया, जिसमें उपभोग की टोकरी (Consumption Basket) को खाद्य पदार्थों, उपभोग्य सामग्रियों एवं सेवा वस्तुओं (Consumables and Service Items) और टिकाऊ वस्तुओं (Durable Goods) में वर्गीकृत किया गया।
- उपभोक्ता व्यय पर **अंतिम सर्वेक्षण 68वें दौर** (जुलाई 2011 से जून 2012) में आयोजित किया गया था। **2017–18 में आयोजित** पिछले सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सरकार ने डेटा गुणवत्ता के मुद्दों का हवाला देते हुए **खारिज** कर दिया था।

प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय रुझान

- भारत के **प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय** में **2011–12 की तुलना में 2022–23 में 33–40% की उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3.1% और शहरी क्षेत्रों के लिए 2.7% की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।
- वर्ष 2022–23 के लिए औसत अनुमानित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) **ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये और शहरी भारत में 6,459 रुपये** था।

क्षेत्रीय असमानताएं

- **सिक्किम** ग्रामीण (7,731 रुपये) और शहरी (12,105 रुपये) दोनों क्षेत्रों में **उच्चतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)** वाले राज्य के रूप में उभरा है, जबकि **छत्तीसगढ़** में ग्रामीण क्षेत्रों में 2,466 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 4,483 रुपये के साथ सबसे कम MPCE दर्ज की गई है।
- औसत MPCE में **ग्रामीण-शहरी असमानता मेघालय में सबसे अधिक** थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान पाया गया है।
- आर्थिक स्तर पर, **ग्रामीण आबादी** के निचले 5% (bottom 5% of Rural Population) का औसत 'मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय' (MPCE) 1,373 रुपये था, जबकि शीर्ष 5% (top 5% of Rural Population) का औसत MPCE 10,501 रुपये पाया गया।
- **शहरी क्षेत्रों** में, निचले 5% और शीर्ष 5% आबादी का औसत MPCE क्रमशः 2,001 रुपये और 20,824 रुपये ज्ञात किया गया।
भोजन पर व्यय का हिस्सा
- वर्ष 2022–23 में, ग्रामीण भारत में **भोजन पर खर्च का हिस्सा लगभग 46%** (1,750 रुपये) था तथा शहरी भारत में 39% (2,530 रुपये) था।
- 2011–12 में **ग्रामीण भारत में यह 52.90 प्रतिशत और शहरी भारत में 42.62 प्रतिशत** था।
- इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-आधारित मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का एक विंग है। NSO का प्राथमिक कार्य आधिकारिक आंकड़े एकत्र करना, संकलित करना और जारी करना है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) समय के साथ उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतों में औसत परिवर्तन का एक माप है।
- CPI की गणना उन वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिनिधिक बास्केट (Representative Basket) का उपयोग करके की जाती है जो आम तौर पर घरों के विशिष्ट समूहों द्वारा खरीदी जाती हैं।

राज्य परिदृश्य

इसके अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों, राज्य स्तर पर आयोजित बैठक एवं सम्मेलनों, सरकारों द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट्स तथा अन्य प्रमुख घटनाक्रमों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिनसे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश बजट 2024–25

5 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये बजट पेश किया। इसके तहत कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है।

- कुल व्यय में से 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिये और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिये आवंटित किये गए हैं।
- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है।
- प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षामापी यंत्र की स्थापना के लिये 60 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है।

उत्तर प्रदेश FDI में वृद्धि

उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000–2017 की तुलना में 2019–23 में चार गुना अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ है।

- यह जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 20 फरवरी, 2024 को 'यूपी: भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य' नामक सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के दौरान कही गई।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 19 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशकों को उत्तर प्रदेश राज्य के निवेश के अवसरों और क्षमता को प्रदर्शित करना था।
- कार्यक्रम में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।
- 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की इन परियोजनाओं के लिए निवेश प्रस्ताव फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्राप्त किये गए थे।

उत्तर प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू

16 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिये आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम [Essential Services Maintenance Act (ESMA)] लागू कर दिया है।

- इस प्रकार राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- सरकार द्वारा यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा बुलाई गई किसान हड़तालों के दौरान लिया गया।
- इसके लागू होने के बाद अब अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है, तो इसे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
- इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

अयोध्या में केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में 'अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर' (State-of-the-Art Centralized GIS Data Center) स्थापित करेगी।
- अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने इस विश्व स्तरीय जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना और संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- केंद्रीकृत जीआईएस डेटा सेंटर की स्थापना और संचालन के लिए एडीए द्वारा एक एजेंसी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए विकास, संचालन और प्रबंधन का कार्य संभालेगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
- वर्तमान में अयोध्या शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30,977 करोड़ रुपये की लागत से 141 परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त विधेयक, 2024

10 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया।

- इस विधेयक के तहत लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, इसके साथ ही अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है।
- मौजूदा लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र का 8 वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी, 2024 को पूरा हो चुका है। नई नियुक्ति होने तक वह पद पर बने रहेंगे।

न्यूज़ बुलेट्स

न्यूज बुलेट्स के इस खंड में हम उन समसामयिक घटनाक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परीक्षा की तैयारी के लिए इन्हें संक्षिप्त रूप में पढ़ना पर्याप्त होता है। ऐसे घटनाक्रमों को हम पत्रिका के शुरुआती नियमित स्तंभों में शामिल करने के बजाय पृथक रूप से इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय परिदृश्य

इंडिया एनर्जी वीक 2024

- 6 से 9 फरवरी, 2024 के मध्य गोवा में 'भारत ऊर्जा सप्ताह 2024' (India Energy Week 2024) का आयोजन किया गया। 6 फरवरी, 2024 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
- यह भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है।
- इस दौरान 6 फरवरी, 2024 को नीति आयोग और नीदरलैंड साम्राज्य के दूतावास ने 'मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह देश की ऐसी एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जो संपूर्ण ऊर्जा मूल्य शृंखला को एक मंच प्रदान करती है तथा भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों के लिये उत्प्रेरक के रूप में काम करती है।

100 क्यूब स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुबनेश्वर, अनुसंधान एवं उद्यमिता पार्क (REP) में दो दिवसीय 100 क्यूब स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।
- अनुसंधान एवं उद्यमिता पार्क (REP) के वर्तमान फोकस क्षेत्र स्वास्थ्य और बायोटेक, बैटरी/ईवी/क्लाइमेटटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (बिल्डिंग मॉडल और एप्लिकेशन), स्पेसटेक, ड्रोन, यूएवी, सेमीकंडक्टर और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं।

केस के स्थगन से संबंधित नये नियम

- सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2024 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से वकीलों द्वारा मामलों के स्थगन मांगने संबंधी प्रावधानों को सख्त करते हुए लगातार दो स्थगन मांगने पर रोक लगा दी है।
- नए दिशा-निर्देशों में वकीलों को स्थगन के लिए अनुरोध प्रसारित करने से पहले विरोधी पक्ष की सहमति लेने की भी आवश्यकता होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्थगन की मांग करने वाले पक्ष को न केवल अनुरोध करने के लिए एक विशिष्ट कारण सूचीबद्ध करना होगा, बल्कि मामले में पहले से मांगे गए स्थगन की कुल संख्या भी बतानी होगी।

IIMC को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा

- हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान, भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की सलाह पर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है।
- यह घोषणा IIMC, नई दिल्ली तथा जम्मू (जम्मू-कश्मीर), अमरावती (महाराष्ट्र), आइजोल (मिजोरम), कोट्टायम (केरल) और ढेंकनाल (ओडिशा) स्थित इसके पांचों क्षेत्रीय परिसरों पर भी लागू होगी।

राज्य सभा के उपसभापति पैनल का पुनर्गठन

- 1 फरवरी 2024 को उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 8 सदस्यों वाले उप सभापति पैनल का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित पैनल में 8 सदस्य हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं।
- नवनियुक्त उपसभापतियों में रमिलाबेन बेचरभाई बारा, सीमा द्विवेदी, डॉ. अमी याज्ञिक, मौसम नूर, कनकमेदला रवींद्र कुमार, प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी, प्रो. मनोज कुमार झा और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. डी. पी. वत्स शामिल हैं। सभापति और उपसभापति के उपस्थित नहीं होने पर उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन उपसभापति पैनल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

संजय वर्मा की UPSC के सदस्य के रूप में नियुक्ति

- 1 फरवरी, 2024 को 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी संजय वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली।
- उन्हें संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन डॉ. मनोज सोनी ने शपथ दिलाई।
- यूपीएससी का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।
- आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।

लघु संचिका

प्रायः सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में नियुक्ति, निधन, पुरस्कारों, चर्चित पुस्तकों, दिवसों आदि से काफी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए संक्षिप्त स्वरूप में समसामयिक घटनाक्रमों का कवरेज पर्याप्त होता है। इसे ध्यान में रखकर हम इस खंड में अति संक्षिप्त रूप में इन समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण करते हैं।

चर्चित व्यक्ति/नियुक्ति

अनिल कुमार लाहोटी

हाल ही में, अनिल कुमार लाहोटी (Anil Kumar Lohati) को **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण** (TRAI) का **अध्यक्ष** नियुक्त किया गया है।

- इससे पूर्व भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पी.डी. वाघेला थे, जिनका कार्यकाल नवंबर 2023 में समाप्त हो गया था।
- **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित** करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है।
- इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई है।
- इसमें एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।
- ट्राई का उद्देश्य भारत में **दूरसंचार विकास** को बढ़ावा देना है, जिससे देश को वैश्विक सूचना समाज के रूप में स्थापित किया जा सके।

रणजीत कुमार अग्रवाल

हाल ही में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रणजीत कुमार अग्रवाल को आईसीएआई के **अध्यक्ष** के रूप में चुना गया है।

- अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल **2024-25** की अवधि के लिए है।
- आईसीएआई की परिषद में 40 सदस्य होते हैं, जिनमें से 32 चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा चुने जाते हैं और 8 केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं।
- **इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटेंसी के क्षेत्र में उच्चतम मानकों** को बनाए रखने से संबंधित देश की एक प्रमुख संस्था है।
- इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित किया गया है तथा यह विश्व की सबसे बड़ी **पेशेवर अकाउंटेंसी निकाय** बन गई है।
- इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित और विकसित करना है।

सिंधु गणपति

हाल ही में, दक्षिणी रेलवे द्वारा तमिलनाडु की एक ट्रांसवुमेन सिंधु गणपति को **ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक** (TTE) नियुक्त किया गया।

- यह प्रथम अवसर है, जब किसी **ट्रांसवुमन** को इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्ति किया गया है।
- ध्यातव्य है कि सुश्री गणपति ने रेलवे में अपना **करियर** 2003 में एक पुरुष कर्मचारी के रूप में शुरू किया था तथा इन्होंने लिंग परिवर्तन कराया था।
- लिंग परिवर्तन के पश्चात आधिकारिक तौर पर रेलवे द्वारा इन्हें एक महिला कर्मचारी के रूप में मान्यता दी गई तथा अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति मिल गई।
- इसे भारतीय **कार्यबल में समावेशिता** की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

मियो ओका

5 फरवरी, 2024 को एशियाई विकास बैंक (ADB) ने **भारत के लिए देश निदेशक** (Country Director for India) के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की घोषणा की।

- इनकी नियुक्ति ताकेओ कोनिशी के स्थान पर की गई है।
- सुश्री ओका भारत में सरकार और अन्य **विकास भागीदारों के साथ** एडीबी **के संबंधों को बढ़ावा देने** के लिए जिम्मेदार होंगी। इन्होंने 2005 से एडीबी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।
- **एशियाई विकास बैंक** एक **क्षेत्रीय विकास बैंक** है, जिसकी **स्थापना** 19 दिसंबर, 1966 को की गई थी। 1 जनवरी, 1967 को इस बैंक ने पूरी तरह से काम करना शुरू किया था।
- इस बैंक की स्थापना का **उद्देश्य** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना था। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है तथा चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।

शुभमन गिल

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 'राज्य आइकन' के रूप में नामित किया है।

- स्टेट आइकन के रूप में, शुभमन गिल विभिन्न **मतदाता जागरूकता अभियानों** में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

खेल परिदृश्य

खेल जगत में हाल के घटनाक्रमों पर आधारित

चर्चित खेल व्यक्तित्व

रविचंद्रन अश्विन

रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने।

- अश्विन सबसे कम टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने अनिल कुंबले, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया।
- अश्विन ने 98वें टेस्ट में 500वां विकेट लिया। भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने 105 टेस्ट मैचों में 500 विकेट पूरे किए थे।
- जबकि ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने 108 और मैक्ग्रा ने 110 टेस्ट में यह उपलब्धि पाई थी। इस मामले में शीर्ष पर मुरलीधरन हैं, जिन्होंने 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिये थे।
- अनिल कुंबल ने भारत के लिए टेस्ट में 132 टेस्ट में 619 विकेट लिए हैं।

अश्वथ कौशिक

18 फरवरी, 2024 को स्विट्ज़रलैंड में बर्गडॉफर स्टैडथॉस ओपन में भारतीय मूल के अश्वथ कौशिक ने पोलैंड के 37 वर्षीय शतरंज ग्रैंडमास्टर जासेक स्टोपा को हरा दिया।

- शतरंज में किसी ग्रैंडमास्टर को हराने वाले 8 वर्षीय अश्वथ सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं।
- अश्वथ से पहले यह खिताब सर्बिया के लियोनिद इवानोविच के नाम था।
- अश्वथ 2022 में अंडर-8 में क्लासिक, रैपिड और ब्लिट्ज़ कैटेगरी में पूर्वी एशिया यूथ चैंपियन बने थे।

मनदीप जांगड़ा

भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन के टॉप्पेनिश सिटी में अमेरिका के गेराडो एसक्विवेल को हराकर अमेरिका स्थित 'नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन (NBA)' का 'इंटरकान्टिनेंटल सुपर फेदरवेट' खिताब जीता।

- जांगड़ा ने 2021 में पेशेवर मुक्केबाजी में पदार्पण किया था। एसक्विवेल को हराने से पहले जांगड़ा ने अपने 6 मुकाबलों में से 4 में नॉकआउट जीत दर्ज की है।
- जांगड़ा ने 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था।
- फ्लोरिडा स्थित 'नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन' (NBA) पेशेवर मुकाबलों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था है।

बाबर आजम

पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम 21 फरवरी, 2024 को टी20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

- बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की।
- बाबर आजम पारियों के मामले में, मैचों के मामले में और समय लेने के मामले में सर्वाधिक तेजी से यह उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं।
- बाबर ने 271 पारियों, 281 मैचों और 11 वर्ष 82 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की।
- वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 285 पारियों, 290 मैचों और 11 वर्ष 215 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की थी।
- जबकि भारत के विराट कोहली ने 299 पारियों, 314 मैचों और 14 वर्ष 176 दिनों में यह उपलब्धि प्राप्त की।
- विराट कोहली टी20 क्रिकेट में प्रथम भारतीय हैं, जिन्होंने सबसे पहले 10 हजार रन बनाए हैं। कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए हैं।

रचना कुमारी

भारत की हैमर थ्रोअर रचना कुमारी को इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) ने 13 फरवरी, 2024 को 12 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यह प्रतिबंध 24 नवंबर, 2023 से प्रभावी माना जाएगा।

- वर्ष 2023 में AIU ने रचना कुमारी के डोप सैंपल में स्टेरॉयड स्टैनोजोलोल, मेटांडिएनोन और डीहाइड्रोक्लोरो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन (DHCMT) और क्लेनब्यूटेरोल पाया गया था।
- रचना कुमारी द्वारा डोपिंग रोधी नियम का यह दूसरा उल्लंघन था।
- 10 फरवरी, 2015 को एकत्रित किए गए सैंपल में मेटेनोलोन की मौजूदगी के चलते डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- उस दौरान उन पर 18 मार्च, 2015 से 17 मार्च, 2019 तक 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था।
- एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) की स्थापना एथलेटिक्स के खेल में डोपिंग से निपटने के लिए अप्रैल 2017 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन (IAAF) द्वारा की गई थी।

बहु-खेल स्पर्द्धा

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2024

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2024 (KIYG-2024) के छठे संस्करण का समापन 31 जनवरी, 2024 को चेन्नई में हुआ।

पत्रिका सार

इस खंड में हम भारत सरकार द्वारा फरवरी 2024 में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं की परीक्षोपयोगी अध्ययन सामग्री का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अभ्यर्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

योजना (फरवरी 2024)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का परिदृश्य

- **अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष** के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर पर **40% नौकरियों को प्रभावित** कर सकता हैं।
- **विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** के रूप में भारत के सतत विकास और सामाजिक उन्नति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों से निपटना और उसकी क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की दिशा में भारत में व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। **राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम** तथा **'इंडियाएआई' पोर्टल** इनमें से कुछ प्रमुख पहलें हैं।
- सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाओं के लिए **क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म्स का प्रावधान** किया जा रहा है।
- भारत **'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी'** (GPAI) जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है।
- **रिस्पांसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एंपावरमेंट** (RAISE) जैसी पहल इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रौद्योगिकियों का उपयोग सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

वैश्विक कल्याण के लिए एआई का उपयोग करने का भारत का दृष्टिकोण

- **'डिजिटल इंडिया'** की परिवर्तनकारी यात्रा को सरकार **'इंडियाएआई'** नामक व्यापक मिशन के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
- **ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट** (GPU), **एआई कंप्यूटर पावर में वृद्धि**, डीपमाइंड, और **ओपन एआई** जैसे अग्रणी उद्योगों से बड़े परिमाण में भाषा मॉडलों की उत्पत्ति और गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के साथ एआईपरिदृश्य में परिवर्तन आया है।
- 12-14 दिसंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में **'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (GPAI) शिखर सम्मेलन-2023** का आयोजन किया गया था।
- GPAI सम्मेलन एक **बहु-हितधारक संस्था** के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिद्धांत और अभ्यास के मध्य अंतर को पाटने के उद्देश्य से 29 सदस्य देशों ने भाग लिया था।
- **सम्मेलन का उद्देश्य** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था।
- इस सम्मेलन में **भारत ने** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए एक **व्यापक नियामक ढांचा स्थापित करने के प्रति प्रतिबद्धता** जताई थी।
- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई **'इंडिया टेकेड'** अवधारणा भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने की ओर लक्षित है।
- सकल घरेलू उत्पाद में **डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान वर्ष 2014 में 45%** था, जो कि **वर्तमान समय में बढ़कर 11%** तक हो गया है।
- वर्तमान समय में, **डिजिटल अर्थव्यवस्था लगभग 2.5-2.8 गुना** अधिक तेजी से बढ़ रही है तथा वर्ष 2026 तक सफल घरेलू उत्पाद में यह लगभग 20% का महत्वपूर्ण योगदान देगी।
- **स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 'एआई इंडेक्स'** की एक हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत एआई कौशल प्रवेश मामले में दुनिया में अग्रणी स्थान पर है और इसमें अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है।
- देश में मौजूद **आईटी नियम** (IT Rules) डीपफेक जैसी एआई-संचालित चुनौतियों से निपटने के लिए आधार प्रदान करते हैं।
- फरवरी 2021, अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 में लागू **संशोधित आईटी एक्ट** के नियम **प्लेटफार्म दायित्वों को प्राथमिकता** देते हैं। इसके तहत प्लेटफॉर्म्स को गलत सूचना के प्रसार से रोकने के लिए बाध्य किया गया है।

एक भारतीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में एआई

- **'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस'** शब्द का प्रयोग **सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जॉन मैकार्थी** द्वारा किया गया था।
- पिछले दशक में भारत ने **'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम** के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण निर्मित किया है।

चर्चित शब्दावली

विगत कुछ वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में चर्चित शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। परीक्षा की इसी मांग के अनुरूप समसामयिक सन्दर्भ में चर्चा में रही शब्दावलियों के विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर ही हम यह खंड प्रस्तुत कर रहे हैं।

मनोविश्लेषण (Psychoanalysis)

हाल ही में संसद उल्लंघन की घटना में आरोपी छह व्यक्तियों के इस घटना के पीछे के उद्देश्यों को समझने के लिये मनोविश्लेषण (Psychoanalysis) की प्रक्रिया अपनाई गई।

- मानसिक विकारों का इलाज करने के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों तथा चिकित्सीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है इस प्रक्रिया को मनोविश्लेषण कहा जाता है।
- इसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक अनुभव के अचेतन तथा सचेत तत्वों के बीच संबंधों का पता लगाकर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उपचार किया जाता है।
- इस शब्द का सृजन 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी की शुरुआत में सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रायड (Sigmund Freud) द्वारा किया गया था।

व्यापार की शर्तें (ToT)

व्यापार की शर्तों का अर्थ है निर्यात कीमतों के सूचकांक और आयात कीमतों के सूचकांक के बीच का अनुपात।

- यदि निर्यात की कीमतें आयात की कीमतों से अधिक बढ़ जाती हैं, तो किसी देश के पास व्यापार की सकारात्मक शर्तें होती हैं, क्योंकि निर्यात की समान मात्रा के अनुपात में वह अधिक आयात कर सकता है।
- यदि कोई देश अपने निर्मित माल और पूंजीगत उपकरणों के आयात का भुगतान करने के लिए अपने निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा पर निर्भर करता है तो किसी देश की व्यापार शर्तों में अचानक बदलाव (उदाहरण के लिए - किसी प्राथमिक उत्पाद की कीमत में भारी गिरावट जो देश का मुख्य निर्यात है) गंभीर भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न कर सकता है।

अर्माडो

26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार नई महिंद्रा अर्माडो को प्रदर्शित किया गया।

- यह भारत का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल (ALSV) है।
- यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स (MDS) द्वारा डिजाइन और निर्मित एक पूरी तरह से स्वदेशी वाहन है।
- इसका उपयोग आतंकवाद विरोधी अभियानों और विशेष बलों के अभियानों में किया जा सकता है। इसका उपयोग त्वरित प्रतिक्रिया टीमों द्वारा टोही वाहन के रूप में और सीमाओं पर गश्त के लिए भी किया जा सकता है।
- इसमें ड्राइवर सहित छह यात्रियों के बैठने की क्षमता है, और इसे आठ तक बैठने के लिए कॉन्फिगर/परिवर्तित किया जा सकता है।
- इसमें B7 लेवल और STANAG लेवल-2 तक बैलिस्टिक सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब यह है कि इसका कवच, कवच-भेदी राइफलों से भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

कनात प्रणाली

हाल ही में, अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पानी की गंभीर कमी के समाधान के लिए प्राचीन 'कनात प्रणाली' का प्रस्ताव किया गया है।

- यह एक प्राचीन प्रकार की जल-आपूर्ति प्रणाली है, जो दुनिया के शुष्क क्षेत्रों में विकसित की गई और अभी भी उपयोग की जाती है।
- यह जलोढ़ पंख के ऊपरी क्षेत्र में और उसके नीचे एकत्र भूमिगत पर्वतीय जल स्रोतों का उपयोग करता है और धीरे-धीरे ढलान वाली सुरंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से पानी को नीचे की ओर प्रवाहित करता है।
- कनात का उपयोग सदियों से उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के शुष्क और अर्ध-शुष्क भागों में किया जाता रहा है, जहां पानी की आपूर्ति सीमित है।
- इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, उत्तरी अफ्रीका में 'फोग्गारा', ओमान में 'फलाज' और एशिया के कुछ हिस्सों में 'करेज'।
- कई पुराने कनात अभी भी ईरान और अफगानिस्तान में मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं।

कारमन रेखा

हाल ही में, अमेरिका स्थित सामरिक अंतरिक्ष अध्ययन के प्रोफेसर बेन ओग्डेन ने, समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कारमन रेखा की पहचान की गई है।

- कारमन रेखा का कोई विशिष्ट भौतिक महत्व नही है क्योंकि इस बिंदु पर कोई ध्यान देने योग्य वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होता है।
- समुद्र तल से 100 किमी (62 मील) ऊपर स्थित, यह एक काल्पनिक रेखा है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल का सीमांकन करती है।
- इसकी पहचान 1960 के दशक में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनेल (FAI) नामक एक रिकॉर्ड-कीपिंग संस्था द्वारा की गई थी।
- इसका नाम एयरोस्पेस में अग्रणी व्यक्तित्व 'थियोडोर वॉन कारमन' के नाम पर रखा गया था।
- कारमन रेखा के ऊपर यात्रा करने वाली किसी भी चीज को एक ऐसी प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उत्पन्न लिफ्ट पर निर्भर नहीं हो।

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

सरकारी समाचार सेवाओं- PIB, AIR इत्यादि से संकलित

राष्ट्रीय परिदृश्य

- भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी, 2024 को कहां 'आयुष समग्र कल्याण केंद्र' का उद्घाटन किया? **- सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में**
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को कब मंजूरी प्रदान की? **- 21 फरवरी, 2024**
- 21 फरवरी, 2024 को किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की? **- आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय**
- केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी, 2024 को देश के पहले कौशल भारत केंद्र (SIC) का उद्घाटन कहां किया? **- ओडिशा के संबलपुर में**
- मत्स्य पालन विभाग ने 19 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये? **- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स**
- इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस (INYAS) ने 9वीं वार्षिक आम सभा की बैठक कब आयोजित की? **- 17 फरवरी, 2024**
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16-17 फरवरी, 2024 को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया? **- लखनऊ**
- डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? **- 14 फरवरी, 2024**
- केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 फरवरी, 2024 को दो दिवसीय 100 क्यूब स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहां किया? **- आईआईटी भुबनेश्वर**
- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-2 कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? **- 11,500 करोड़ रुपये**
- 4 फरवरी, 2024 को उत्तर-पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? **- नई दिल्ली**
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए जैव-विज्ञान में बहु-विषयक पोस्ट-डॉक्टरल पाठ्यक्रम कब शुरू किए? **- 5 फरवरी, 2024**
- उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 1 फरवरी, 2024 को उच्च सदन में कितने सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया? **- 8**
- केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 फरवरी, 2024 को 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ कहां किया? **- नई दिल्ली**
- राज्य सभा ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 कब पारित किया? **- 6 फरवरी, 2024**
- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत में आयोजित अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक, 'भारत टेक्स 2024' (Bharat Tex 2024) का उद्घाटन किया? **- भारत मंडपम, नई दिल्ली**
- हाल ही में, रक्षा मंत्रालय के तहत 'रक्षा अधिग्रहण परिषद' (DAC) द्वारा कितनी राशि के विभिन्न पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) को मंजूरी दी है? **- 84,560 करोड़**
- 27 फरवरी, 2024 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान ने 'स्वयं प्लस' प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो उद्योग के साथ सहयोग से विकसित पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? **- आईआईटी (IIT) मद्रास**
- पंचायती राज मंत्रालय ने 22 फरवरी, 2024 को ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना (GPSDP) पर क्रॉस लर्निंग इंटरएक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहां किया? **- भोपाल**

सामाजिक परिदृश्य

- 16 फरवरी, 2024 को 'भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना: वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना' शीर्षक से एक स्थिति-पत्र किस संस्था ने जारी किया? **- नीति आयोग**
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी, 2024 को वार्षिक जनजातीय 'आदि महोत्सव' का उद्घाटन कहां किया? **- नई दिल्ली**
- संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा में 6 फरवरी, 2024 को पारित किया गया था, राज्य सभा में इसे कब पारित किया गया? **- 9 फरवरी, 2024**
- शिक्षा मंत्रालय ने किस पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है? **- भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC)**

कल्याणकारी योजनाएं

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी, 2024 किस अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) को मंजूरी दी? **- 2021-26 की अवधि के लिए**
- केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन-सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? **- सी-केयर्स (C-CARES)**
- हाल ही में किस मंत्रालय/विभाग द्वारा 'संगम: डिजिटल ट्विन' पहल का अनावरण किया गया? **- दूरसंचार विभाग (DoT)**